न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारीः— मूल चन्द आरएएस

अपील सख्या 2017/00167 (178/2010) 223 आरटीएक्ट

संतोष देवी पत्नी भूराराम जाति जाट निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। ——अपीलांट

बनाम

1. दीपक कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. कृष्ण कुमार पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ——रेस्पोडेन्ट्स

विरूद्ध निर्णय व डिक्री 23.08.2010 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी अनुवानी दिपक कुमार बनाम भूराराम

श्री बलविन्द्र सिह , अभिभाषक अपीलांट

श्री विजय कौशिक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट रेस्पोडेण्ट सं0 1

श्री प्रदीप मोहन भाटी, राजकीय अभिभाष रेस्पोडेण्ट सं0 2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 22.07.2019

1. संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी ने प्रतिवादी भूराराम व कृष्ण कुमार के विरूद्ध एक वाद धारा 88 आरटीएक्ट में प्रस्तुत किया। वाद में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है जिसमें उसका जन्म से हक व अधिकार है तथा घरू बंटवारा में दी हुई है तथा वादी अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज रह कर भूमि काश्त करता आ रहा है। अत प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा का वादी खातेदार काश्तकार है एवं खाता में प्रतिवादी सं0 1 भूराराम का नाम कलमजन किया जावे व प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हि0 वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने राजीनामा पेश कर भूराराम के हिस्सा की 1/2 हिस्सा की आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अपनी अनापत्ति प्रस्तुत की एवं राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने बतोर तृतीय पक्ष यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने प्रश्नगत भूमि को पैतृक माना है जबकि भूराराम के सभी वारिसान को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। भूराराम के चार पुत्रियां है जो शादी शुदा हैं। अपीलण्ट स्वयर्गीय भूराराम की पत्नी है। दीपक वादी जो भूराराम का पोता ने अकेले अपनें नाम भूमि करवा ली है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी जांच के राजीनामा के आधार पर वाद को डिक्री कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय में जो राजीनामा प्रस्तुत हुआ है उसे तस्दीक नही किया गया है। भूराराम कभी अदालत में गया ही नहीं। राजीनामा षड़यंत्र पूर्वक तैयार कराया जाकर प्रस्तुत किया गया है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। भूराराम को उसकी बहन जेठी देवी ने वसीयत में भूमि देना अंकित किया है। भूराराम के नाम भूमि आई है। भूराराम के नाम भूमि आ गई और उसने अन्य किसी को भूमि नहीं दी वसीयत भी नहीं की तो भूराराम की मृत्यु पर सके सभी वारिसान को भूमि मिलनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय में सज़रा खान प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलाण्टा एक प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। अपीलाण्टा पक्षकार नही होने के कारण अपीलाधीन निर्णय का उसे ज्ञान नहीं था। अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र, धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 के अधिवक्तागण ने अपनी संयुक्त बहस में कथन किया प्रश्नगत भूमि भूराराम की स्वअर्जित भूमि है जिसमें उसका सम्पूर्ण अधिकार है। राजीनामा फर्जी होने का कोई दस्तावेज अपीलाण्ट ने प्रस्तुत नहीं किया है। उभयपक्षों की रजामंदी से राजीनामा के आधार पर अंपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। भूराराम का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत हुआ है। अपीलाण्टा का प्रश्नगत भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। वह प्रभावित पक्षकार नहीं है। उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान था। अतः : धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र, धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2017 (1) पेज 95 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्टा भूराराम की पत्नी है वाद पत्र में प्रश्नगत भूमि के पैतृक होना अंकित किया है। पैतृक सम्पति में सभी वारिसान का हक हिस्सा है जिसमें अपीलाण्टा भी प्रथम दृष्टया आवश्यक पक्षकार है। रेस्पोडेण्ट ने राजीनामा से प्रश्नगत भूमि अपना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हिस्सा घोषित करवा लिया है। इसलिए अपीलाण्टा एक प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। अतः अपलाण्टा का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. अपीलाण्टा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी इसलिए अपीलाधीन निर्णय का उसे ज्ञान नही होना स्वाभाविक है। अतः अपीलाण्टा का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर डिले कण्डोन की जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा का दावा प्रस्तुत हुआ था। जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने पर दावा डिक्री किया गया है। राजीनामा तस्दीक नहीं किया गया है। वादी ने अपने वाद में प्रश्नगत भूमि के पैतृक होने के कथन किये हैं। पैतृक भूमि होने के कारण अपीलाण्ट का भी प्रश्नगत भूमि में हक व हिस्सा बनता है लेकिन उसे वाद में भूराराम के सभी पुत्र, पुत्रियां एवं पत्नी को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि वे वाद में आवश्यक पक्षकार थे। वाद पत्र में अन्य चकों में भी भूमि होना अंकित किया है किन्तु वादपत्र में केवल एक चक की भूमि को ही शामिल किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि सभी वारिसान को वाद में पक्षकार बनाकर साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न तथ्यों पर आधारित होने के कारण इस प्रकरण में चस्पां नही होते हैं।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विलेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.08.2010 निरस्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी आवश्यक वारिसान को वाद में पक्षकार बनाकर उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

22/7/19

(मूलचन्द)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official